(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2014–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–5–2015 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 200/अपील/2012–13.

1– सियाबाई बेवा हरीसिंह
2– सुनील पुत्र हरीसिंह नाबालिग
संरक्षक सियाबाई
3– दुर्गाबाई पुत्री हरीसिंह नाबालिग
संरक्षक सियाबाई
4– मोतीराम आत्मज गनेशराम
5– भगवानसिंह आत्मज गनेशराम
6– पूरनसिंह आत्मज गनेशराम
7– मथुराप्रसाद आत्मज गनेशराम
8– राजकुमार आत्मज गनेशराम
निवासीगण ग्राम सुनेहरा
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

मानसिंह पुत्र मुंशीलाल
निवासी ग्राम सुनेहरा
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/12/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील बेगमगंज के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बहादुरपुर स्थित भूमि खाता कमांक 43 कुल किता 3 कुल रकबा 20.71 एकड़ उभय पक्ष के नाम दर्ज है, जिस पर अनावेदक एवं आवेदकगण का 1/2 – 1/2 हिस्सा है । प्रश्नाधीन भूमि का आपसी बटवारा हो चुका है, अतः हिस्से एवं कब्जे के अनुसार बटवारा किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 33/अ–27/2011–12 दर्ज कर दिनांक 30–11–12 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–6–2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए पटवारी द्वारा बनाई गई फर्द बटान अनुसार 14.85 एकड़ पर आवेदकगण तथा 5.86 एकड़ पर अनावेदक का नाम बटवारा स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 20–5–2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा अभिलेख एवं साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा इस बिन्दु की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है कि फर्द बटान पर अनावेदक द्वारा सहमति दी गई है, जिस पर सहमति स्वरूप उसके द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण को कम उपजाऊं एवं पथरीली भूमि दी गई है, जबकि अनावेदक को उपजाऊं भूमि दी गई है, जिस पर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है, किन्तु आयुक्त द्वारा बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक द्वारा बटवारा हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी से फर्द बटान प्राप्त किया गया । पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटान पर अनावेदक द्वारा आपत्ति की गई, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने में न तो अनावेदक की आपत्ति का निराकरण किया गया है, न ही संहिता की धारा 178 के नियम 4 तथा 6 के प्रावधानों का पालन किया गया और न ही उभय पक्ष की साक्ष्य ली गई, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वत्व का निर्धारण करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में अनावेदक का 1/2 हिस्सा है, तब असमान बटवारा करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । पक्षकार स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराने के लिए स्वतंत्र हैं । आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर